न्यायालय राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश ग्वालियर के समक्ष

R-2640-PBR/16

नानुराम पिता हमीरा मईडा

निवासी—ग्राम गेहण्डी(वडलीपाडा)

तहसील पेटलावद जिला झाबुआ म.प्र. ....निगरानीकर्ता

विरूद्ध

1. सुरज्या पिता कोदरिया सिंगाड
2. वरदा पिता कोदरिया सिंगाड
3. देवला पिता कोदरिया सिंगाड
4. लालज्या पिता कोदरिया सिंगाड
5. दितुडी बेवा कोदरिया सिंगाड

निवासीगण—ग्राम रूणजी तहसील पेटलावद जिला झाबुआ ....विपक्षीगण

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भु.—राजस्व. संहिता

माननीय महोदयय,

सदर की निगरानी न्यायालय श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी महोदय राजस्व पेटलावद जिला झाबुआ द्वारा उनके अपीलीय प्रकरण कमांक 107/अपील/2013—14 मे पारित आदेश दिनांक 21.06.2016 से अंतुष्ट होकर म.प्र.भु—राजस्व संहिता की धारा 50 के तहत माननीय न्यायालय के समक्ष निगरानी पेश हैः—

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक नि.2640–पीबीआर/16 **जिला झाबुआ**

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
6–2–2018	आवेदक अधिवक्ता श्री दिवाकर दीक्षित तथा अनावेदक अधिवक्ता श्री एस0पी0धाकड उपस्थित । अनावेदक अधिवक्ता द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के आदेश की प्रति प्रस्तुत कर बताया गया कि आवेदक द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के अंतरिम आदेश दिनांक 21–6–2016 के विरूद्ध यह निगरानी प्रस्तुत की गई थी। अनुविभागीय अधिकारी द्वारा प्रकरण में दिनांक 25–7–16 को अंतिम आदेश पारित किया जा चुका है तथा जिसकी द्वितीय अपील में भी अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 3–11–2017 को अंतिम आदेश पारित किया जा चुका है, इसलिये यह निगरानी निरर्थक हो जाने से समाप्त किये जाने योग्य है । अधीनस्थ न्यायालय के आदेश की प्रति के अवलोकन उपरांत यह निगरानी निरर्थक हो जाने से समाप्त की जाती है ।	
	अध्यक्ष	